

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 26/2023 GCMS No.2023/93

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बाड़मेर

बनाम

1. चनणाराम पुत्र मोहनलाल  
जाति ब्राहमण निवासी गिड़ा  
मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर  
पुराना बस स्टैण्ड गिड़ा तह.  
गिड़ा 9828155158

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम की धारा 26 की उप धारा 2(ii) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थित

1. अभियोजन अधिकारी, बालोतरा प्रार्थी की ओर से अनु.उपस्थित।

अप्रार्थी (गैर सायल) चनणाराम पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी गिड़ा फर्म-मैसर्स  
बालाजी किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड गिड़ा तह. गिड़ा स्वयं उपस्थित।

—:आदेश:—

दिनांक:— 23.04.2025




प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर पुराना बस स्टैण्ड गिड़ा जिला बालोतरा पर निरीक्षण दिनांक 25.02.2023 के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार कुल 04 बोतल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1903 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट L.S. / 379 / Act / 2023 / 403 दिनांक 09.03.2023 में **The sample of Refined soyabean Oil (Fortune brand) bearing Code No. and Sr.No. p-1903 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Misbranded food under section 3(1) (zf) (i) of Food Safety and Standard Act-2006.** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

1. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी खाद्य पदार्थ निर्माता की ओर से स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

- L.S. /379/ Act / 2023 / 403 दिनांक 09.03.2023 में उक्त नमूना रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून The sample of Refined soyabean Oil (Fortune brand) bearing Code No. and Sr.No. p-1903 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Misbranded food under section 3(1) (zf) (i) of Food Safety and Standard Act-2006. का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट अज्ञानता के कारण हुई है। भविष्य में ऐसे भूल दोहराई नहीं जायेगी। अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूना रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून The sample of Refined soyabean Oil (Fortune brand) bearing Code No. and Sr.No. p-1903 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Barmer is Misbranded food under section 3(1) (zf) (i) of Food Safety and Standard Act-2006 Given but quantity of omega 3&omega 6 fatty acid content Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020. का पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरच्यून Misbranded food का पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
2. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रुपये 25,000/- अक्षरे पचीस हजार रुपये मात्र का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-चालान - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोतरा के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
3. आदेश दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(डॉ. गुंजन सोनी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा